



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-29082022-238445
CG-DL-E-29082022-238445

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 3859]

नई दिल्ली, सोमवार, अगस्त 29, 2022/भाद्र 7, 1944

No. 3859]

NEW DELHI, MONDAY, AUGUST 29, 2022/BHADRA 7, 1944

विद्युत मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 26 अगस्त, 2022

का.आ. 4033(अ).—निम्नलिखित पारेषण स्कीमों/पैकेजों को निम्नलिखित तालिका में वर्णित किए अनुसार राजपत्र अधिसूचना के द्वारा टैरिफ आधारित प्रतिस्पर्धी बोली (टीबीसीबी) के अंतर्गत कार्यान्वयन के लिए अधिसूचित किया गया था:

क्रम सं.	स्कीम का नाम	राजपत्र अधिसूचना जिसके द्वारा स्कीम को अधिसूचित किया
1.	क. लैंकों विदर्भ थर्मल पावर लिमिटेड (एलवीटीपीएल) के लिए कनेक्टिविटी प्रणाली	का.आ.3350(ई.), दिनांक 28.10.2016 (फा.सं. 15/3/2016-पारेषण)
	ख. मध्य प्रदेश में छत्तरपुर क्षेत्र में अंतर्राज्यीय पारेषण प्रणाली को सुदृढ़ बनाना।	

2. उपर्युक्त उल्लिखित स्कीमों के लिए दिनांक 31.07.2019 को आयोजित तत्कालीन राष्ट्रीय पारेषण समिति (एनसीटी) की चौथी बैठक में अधिसूचना रद्द करने के लिए सहमति व्यक्त की गई थी और दिनांक 03.08.2022 को अधिसूचना रद्द करने के लिए सीईए द्वारा सिफारिश की गई थी। इस प्रकार से, उपर्युक्त स्कीमों, सहित उनके कार्यक्षेत्र की अधिसूचना एतद्वारा रद्द की जाती है।

[फा. सं. 15/3/2018-ट्रांस-भाग(1)]

रघुराज राजेन्द्रन, संयुक्त सचिव (पारेषण)

MINISTRY OF POWER**NOTIFICATION**

New Delhi, the 26th August, 2022

S.O. 4033(E).—The following transmission schemes/packages were notified for implementation under Tariff Based Competitive Bidding (TBCB) vide Gazette Notification as mentioned in below table:

Sl. No.	Name of the Scheme	Gazette Notification by which Scheme was notified
1	A. Connectivity System for LancoVidarbha Thermal Power Ltd. (LVTPL) B. Inter State Transmission system strengthening in Chhatarpur area in Madhya Pradesh	S.O. 3350 (E), Dated 28.10.2016 (F.No.15/3/2016-Trans)

2. Above mentioned schemes was agreed for de-notification in the 4th meetings of erstwhile National Committee on Transmission (NCT) held on 31.07.2019 and recommended by CEA for de-notification on 03.08.2022. As such, above schemes, including their scope are hereby de-notified.

[F. No. 15/3/2018-Trans-Pt(1)]

RAGHURAJ RAJENDRAN, Jt. Secy. (Trans)